न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :— इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 14/2015/डिक्री

1. भैरूलाल पिता किशनलाल ब्राह्म्ण मृतक के बजाय—
   1. उदयलाल पिता भैरूलाल ब्राह्म्ण
   2. शांतिलाल पिता भैरूलाल ब्राह्म्ण
   3. नानालाल पिता भैरूलाल ब्राह्म्ण

   सभी निवासी भाटोली ब्राहम्णान तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
2. बाबरू पिता दलीचन्द ब्राह्म्ण
   1. कजोडीबाई बेवा बाबरू ब्राह्म्ण
3. हरिशंकर पिता मोतीलाल ब्राह्म्ण
4. नोकलाल पिता मोतीलाल ब्राह्म्ण
5. रामेश्वरलाल पिता लच्छीराम ब्राह्म्ण
6. मोहनलाल पिता रतनलाल ब्राह्म्ण
7. केशुराम पिता रतनलाल ब्राह्म्ण

सभी निवासी भाटोली ब्राहम्णान तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. कमलादेवी पत्नि माधवलाल महाजन नागौरी मृतक के बजाय—
   1. कान्तीलाल पिता माधवलाल महाजन
   2. निर्मलकुमार पिता माधवलाल महाजन
   3. स्नेहलता पिता माधवलाल महाजन
   4. कनक पिता माधवलाल महाजन
   5. नमिता पिता माधवलाल महाजन
2. विमलकुमार पिता माधवलाल महाजन
3. राजेन्द्र पिता माधवलाल महाजन

   सभी निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
5. ताराचन्द पिता मोतीलाल ब्राह्म्ण
   1. देवकिशन पिता ताराचन्द ब्राह्म्ण
   2. सत्यनारायण पिता ताराचन्द ब्राह्म्ण
   3. लाभचन्द पिता ताराचन्द ब्राह्म्ण
   4. सीतादेवी पत्नि ताराचन्द ब्राह्म्ण
6. वजेराम पिता रतनलाल ब्राह्म्ण
7. घासीराम पिता रतनलाल ब्राह्म्ण

   सभी निवासी भाटोली ब्राहम्णान तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड़ अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 27.07.2011 प्रकरण सं. 101/2001

उपस्थित — 1. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री शिवनारायण जाट — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—1(1)(2) 2—3 1(3)(4)(5)

निर्णय दिनांक— 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 ने मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा भाटोली ब्राह्म्णान तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 627/2 रकबा 24 बीघा कृषि भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि मे हजरी पिता मोती लुहार ने रजिस्टर्ड बहनामा किमती 500/— रू. दिनांक 19/09/1956 को अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 पिता मोतीलाल, लच्छीराम, रतनलालजी के पक्ष मे पंजीयन कराया, दस्तावेज दिनांक 01/09/1956 को निष्पादित किया तभी से उक्त आराजीयात पर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 व उनके पूर्वज का कब्जा चला आ रहा है, अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के पूर्वज मोतीलाल, लच्छीराम व रतनलाल जी गांव के मौतबीरान व पंच पटेल है व थे ने सामुहिक रूप से यह भूमि समस्त ग्रामवासियान भाटोली ब्राह्म्णान के मवेशी चलने हेतु 500/— रू. मे अपने नाम से खरीदी और तभी से उन्ही के कब्जे मे चली आ रही है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 मोतीलाल, लच्छीराम, रतनलाल की अनुमति से धमार्थ ग्राम भाटोली ब्राह्म्णान के मवेशी चलने हेतु उन्होने छोडी और अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 व दिगर गांव के मवेशी सामूहिक रूप से इस कृषि भूमि पर आज दिन तक चरते चले आ रहे है, चूंकि यह आराजी गांव के मवेशियो के चरने के लिए छोड रखी थी और पुरे गांव के मवेशी इस पर चरते है। इसलिये अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 ने इस कृषि भूमि बाबत् राजस्व अभिलेख पर कोई ध्यान नही दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रतिवादीगण ने बिना अपीलान्टस की जानकारी मे लाये गलत तरीके से यह भूमि राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करा ली, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का व उसका माता नानीबाई का व माधवलाल का इस भूमि पर किसी भी हैसियत से किसी भी दिन किसी भी भाग पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, सिर्फ गांव के मवेशी अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के मवेशी भी गांव के मवेशियो के साथ इसी भूमि पर घास चरते है, और इस भूमि का उपयोग करते चले आ रहे है। इस भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का कोई तालुक, सम्बन्ध सरोकार

नही है फिर भी वे जबरन बिना किसी अधिकार के अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 की उक्त कृषि भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते है व इस भूमि पर जबरन हल चलाकर काश्त करना चाहते है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को जरिये नोटिस तलब किया गया, व नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व दावे व जवाबदावे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम कर उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी, दिनांक 23/11/2006 को पत्रावली मे अपीलान्टस की ओर से साक्ष्य वादी बन्द कर दी गयी जिसके विरूद्व अपीलान्टस ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत की गयी जो निगरानी क्रमांक 447/2007 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 14/12/2009 को अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अपीलान्टस की ओर से साक्ष्य लिवायी जाकर प्रकरण गुणावगुण निस्तारण करने के आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः पत्रावली लौटायी गयी।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पंजीकृत बहनामे से खरीदशुदा आराजीयात के सम्बन्ध मे है जो गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज कर दी गयी जिसकी घोषणा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया जो महत्वपूर्ण था व उसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित था। विचारण न्यायालय ने तकनीकी बिन्दुओ को आधार बनाकर साक्ष्य वादीगण बन्द कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/06/2005 को साक्ष्य वादी बन्द कर दी जिस पर पुनः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 23/11/2006 को भी निरस्त कर दिया, व उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत कर दी जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने माननीय राजस्व मण्डल निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 14/12/2009 को अपीलान्टस के पक्ष मे स्वीकार की गयी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/01/2011 को पुनः पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टस को सूचना दिये बगैर दिनांक 25/07/2011 को वादपत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्टस ने दिनांक 03/02/2015 को अधीनस्थ न्यायालय मे जानकारी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 25/07/2011 की जानकारी कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 04/02/2015 को प्राप्त हुयी, अपील अपीलान्ट बाद जानकारी मयाद पेश है। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः

अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 25/07/2011 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिवाया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारित फरमाये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित फरमायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 08/04/2004 को तनकियात कायम की गई। दिनांक 22/04/2004, 03/06/2004 तथा दिनांक 22/04/2004 को पत्रावली शहादत पर रही। दिनांक 21/04/2005 को गवाह उपस्थित हुए परन्तु बयान नही लिये गये। दिनांक 30/06/2005 को शहादत वादी बन्द कर दी गई तथा दिनांक 30/11/2006 को शहादत पुनः खोल दी गई तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसकी निर्णय के विरूद्ध रिवीजन माननीय राजस्व मण्ड़ल मे 447/2007 प्रस्तुत हुई। उक्त रिवीजन मे पारित निर्णय दिनांक 14/12/2009 के माध्यम से उक्त आदेश खारीज हुए। अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु निर्णय मे तारीख का उल्लेख नही था। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 25/11/2010 को प्राप्त हुई। दिनांक 28/01/2011 को प्रतिवादी की ओर से आदेश 22 नियम 44 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18/01/2011 को पेश हुआ जिसकी अपीलान्ट को न तो प्रतिलिपी न ही उपस्थिति दर्ज हुई। उक्त प्रार्थना पत्र मे आगामी सुनवाई दिनांक 01/02/2011 निर्धारित थी। एक माह मे निर्णय पारित करना था जो नही किया जाकर दिनांक 25/07/2011 को निर्णय किया गया। जानकारी के अभाव मे निर्धारित समय सीमा अपील प्रस्तुत नही की जा सकी जिसके लिये दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि वादीगण कोर्ट मे लम्बित कार्यवाही के प्रति सजग नही है। उक्त रिवीजन वादी द्वारा ही की गई थी जिसमे माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की जानकारी उन्हे ही थी तथा यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर चाराजोही करते। दिनांक 16/05/2002 को अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 21/04/2005 शपथ पत्र अंकित नही होने के कारण बयान नही लिये जा सके। दिनांक 19/05/2005 को इसके लिये फिर मौका दिया गया। वादी को शहादत हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे 11 बार मौके दिये गये एवं 11 वें अवसर पर डेढ साल बाद शहादत वादी बन्द की गई जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नही की गई

जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे रिवीजन दायर की गई जिसके निर्णय की समस्त जानकारी वादीगण को थी उन्हे कोस्ट पर शहादत हेतु मौका दिया गया जिसके फलस्वरूप उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे पेश होना था परन्तु लगभग 2 साल तक घर ही वादीगण बैठे रहे। दिनांक 14 जनवरी 2009 को न तो वादीगण न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा न ही कोस्ट जमा कराकर बयान लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने फौत होने की जानकारी कोर्ट को देना नैतिक जिम्मेदारी दिनांक 01 फरवरी 2011 को प्रतिवादीगण की ओर से श्रीमती कमला का देहान्त दिनांक 07/02/2010 को हो जाने का उल्लेख करते हुए आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसी आदेशिका मे यह भी उल्लेखित है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14/12/2009 जो कि मय पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15 जनवरी 2010 को प्राप्त हो चुका था लेकिन वादीगणो ने राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण मे उपस्थित नही हुए तथा न ही किसी प्रार्थना पत्र व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा किया गया यह कथन सही नही है कि एक माह मे निर्णय नही किया गया। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 25/07/2011 को पुनः बहस सुनी गई तत्पश्चात् उसी दिन प्रार्थना पत्र निर्णित कर दावा एबेट किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा लगभग साढे चार साल बाद अपील दायर की गई है। जिसमे देरी के पर्याप्त कारणो का उल्लेख नही किया गया है। जिसके कारण अपील मयाद बाहर होने के कारण भी खारीज होने योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अबेटमेन्ट के सम्बन्ध मे आरआरडी 2010–11 सप्लीमेन्ट्री पेज 82 तथा आरआरटी 2015 पेज 232 की नजीरे पेश की तथा अपील अपीलान्ट खारीज करने की मांग की गई।

5. बहस सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कोस्ट पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देने के पश्चात् भी लम्बे समय तक न तो अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा न ही कोस्ट जमा कराई गई है। वादीगण को श्रीमती कमलादेवी के कायम मुकाम कराने चाहिये थे जिसके बारे मे भी कोई कार्यवाही नही गई है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 01/02/2011 की आदेशिका मे विस्तृत मे

इन तथ्यो का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 25/07/2011 को पुनः प्रतिवादीगण की बहस सुनकर आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करते हुए दावा अबेट करने के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। जिसके कारण हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25/07/2011 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 101/2001 मे पारित निर्णय दिनांक 25/07/2011 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़